न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 524/16
निर्णय दिनांक: 11.06.2018

1. देवीलाल पुत्र राधाकिशन जाति कुमावत नि0 मोहन की ढाणी सुरसिंहपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 — वादी

बनाम

1. तहसीलदार तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक — प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा एंव दुरूस्ती इन्द्राज

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि वादी की आराजीयात कृषि भूमि वाके ग्राम सुरसिंहपुरा तह0 फुलेरा में आराजी खाता सं0 65 की आराजी खं0नं0 143 रकबा 5 बीघा, खं0नं0 144/1 रकबा 33 बीघा 9 विस्वा, खं0नं0 144/2 रकबा 2 विस्वा किता 3 कुल रकबा 38 बीघा 11 विस्वा स्थित है जिसमें वादी व उसकी माता गोरादेवी, मदनलाल, ओमप्रकाश का सयुंक्त रूप से 1/4 हिस्सा है जिस पर वादी व उसकी माता व भाई संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है उपरोक्त वर्णित आराजी वादी को विरासत में उसके पिता स्व0 राधाकिशन से प्राप्त हुई थी। वादी का नाम देवीलाल है परन्तु पिता राधाकिशन की फौत पर देवीलाल के बजाय देवाराम गलत दर्ज हो गया क्योकिं वादी को गांव में देवाराम के नाम से भी बोलते थे लेकिन वास्तविक नाम वादी का देवीलाल ही है इस प्रकार वादी को देवीलाल व देवाराम दो नामों से बोलने के कारण वादी का उपरोक्त आराजीयात के राजस्व रिकोर्ड में फौती का नामान्तकरण विरासत का खोलते समय देवीलाल की जगह देवाराम गलत रूप से दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी का वास्तविक नाम देवीलाल है। वादी के सभी दस्तावेजात राशनकार्ड, चुनाव पहचान पत्र, आधार कार्ड इत्यादि में भी वादी क नाम देवीलाल ही दर्ज है वादी का नाम उपरोक्त खातेदारी में गलत दर्ज चले आने से वादी को अपनी आराजी को उन्नत व विकसित किये जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वादी ने अपना नाम वाद पत्र के मद सं0 1 में वर्णित आराजीयात में देवाराम पुत्र राधाकिशन की जगह देवीलाल पुत्र राधाकिशन अंकित करने का निवेदन दिनांक 17.11.16 को तहसीलदार महोदय को किया तो प्रतिवादी ने वादी को न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत दी इसलिए यह वाद बाबत् खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज का पेश करना आवश्यक हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र सुरसिंहपुरा में पेश हुयी। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश किया जिसमें अंकित किया कि देवाराम पुत्र राधाकिशन के स्थान पर देवाराम उर्फ देवीलाल पुत्र राधाकिशन राजस्व रिकोर्ड में दुरूस्त किया जाना उचित है।

वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74, कार्यालय ग्राम पंचायत सुरसिंहपुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, देवीलाल का आधार कार्ड, राशनकार्ड की फोटो प्रतिया पेश की है।

वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली व प्रतिवादी के जवाब व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के बाद वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि खाता सं0 65 की आराजी खं0नं0 143 रकबा 5 बीघा, खं0नं0 144/1 रकबा 33 बीघा 9 बिस्वा, खं0नं0 144/2 रकबा 2 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 38 बीघा 11 बिस्वा वाकै ग्राम सुरसिंहपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में दर्ज वादी का नाम देवाराम पुत्र राधाकिशन के स्थान पर देवाराम उर्फ देवीलाल पुत्र राधाकिशन दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाकर वादी को 1/6 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावें। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 11.06.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प सुरसिंहपुरा मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
साभर लेक

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक मुकाम सांभर लेक

बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0

देवीलाल बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत घोषणा एंव दुरूस्ती इन्द्राज

मुकदमा नंबर 524/16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कालूसिंह व हाजरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि खाता सं0 65 की आराजी खं0नं0 143 रकबा 5 बीघा, खं0नं0 144/1 रकबा 33 बीघा 9 विस्वा, खं0नं0 144/2 रकबा 2 विस्वा किता 3 कुल रकबा 38 बीघा 11 विस्वा वाकै ग्राम सुरसिंहपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में दर्ज वादी का नाम देवाराम पुत्र राधाकिशन के स्थान पर देवाराम उर्फ देवीलाल पुत्र राधाकिशन दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाकर वादी को 1/6 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ....निज .... मुबलिग..... .... बाबत्..................................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.................................का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 06 सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत................

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

मुहर
ओहदा

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner